दिनांक 07.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 07/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा विवेचना की समीक्षा/गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध, विधि संगत निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुरनगर, वाराणसी, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद को विवेचनाओं के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विवेचना के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध, विधिसंगत निस्तारण एवं थाना स्तर पर व्यवहरित किये जा रहे अभिलेखों के रख–रखाव की अद्यावधिक स्थिति तथा थाना प्रभारियों/उ0नि0 के कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किये जाने के सम्बन्ध में नियमित अन्तराल पर समीक्षा किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैः–

- जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद यह सुनिश्चित करें कि विवेचको द्वारा विवेचनाओं का निस्तारण निर्धारित समयावधि में हो, अनावश्यक रूप से विलम्ब न किया जाये।
- जनपद के अधिकारी द्वारा थानों के भ्रमण के दौरान लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की जाय तथा थाने के कार्यालय भवन, बैरक तथा अवासीय भवनो आदि की साफ सफाई एवं अभिलेखों का रख रखाव आदि का निरीक्षण किया जाये। तदोपरान्त थाने पर नियुक्त कर्मचारियों का सम्मेलन किया जाय एवं उनकी बीट बुक का भी निरीक्षण किया जाये।
- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी द्वारा नियमित अन्तराल पर थानों की लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की जाये एवं लम्बित विवेचनाओं की गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किया जाय।
- गम्भीर प्रकृति के अपराधों के विवेचनाओं की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहराई से की जाये तथा अनावश्यक रूप से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दोषी विवेचकों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- थानों पर लम्बित विवेचना/जॉचों की समीक्षा (आदेश कक्ष) करने वाले अधिकारियों द्वारा विवेचना की स्थिति, जाँच रजिस्टर आदि का अवलोकन किया जाये तथा पूर्व में थाना प्रभारी/उपनिरीक्षक को दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही की भी समीक्षा की जाये।
- थानों पर लम्बित विवेचना/जॉचों की समीक्षा (आदेश कक्ष) के दौरान थाना प्रभारियों/उ0नि0 द्वारा की जा रही विवेचनाओं में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अज्ञात प्रकरणों का अनावरण, घटनास्थल का निरीक्षण एवं घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन, लूट/चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी, वारण्टों का तामीला एवं शिकायती प्रार्थना पत्रों की जाँच आदि की निकटता से समीक्षा की जाये।
- अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक जनपदों के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

जनपद अयोध्या/थाना पटरंगा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 19 मोबाइल फोन, 01 चॉदी का सिक्का, 2160 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.10.2021 को थाना पटरंगा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अशरफपुर गंगरैला मोड़, रानीमऊ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मोनू उर्फ अब्बदुल मन्नान सहित 02 अभियुक्त 2–श्रवण उर्फ राका को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 19 मोबाइल फोन, 01 चॉदी का सिक्का, 2160 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल व 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ अब्दुल मन्नान थाना पटरंगा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 224/2021 धारा 457/380/411/413 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पटरंगा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू उर्फ अब्दुल मन्नान निवासी ग्राम नेवरा थाना मवई जनपद अयोध्या।

2–श्रवण उर्फ राका निवासी भुड़ेहरी थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–चोरी के 19 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 चॉदी का सिक्का।

3–चोरी के 2160 रूपये नगद।

4–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

5– 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना ईकोटेक–1

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06.10.2021 को थाना ईकोटेक–1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जी0बी0यू0 चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–मो0अमजद 2–सादिक सैफी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र से वाहन चोरी कर, वाहनो के नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ईकोटेक–1 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0अमजद निवासी थाना तलय्या जनपद भोपाल मध्यप्रदेश।

2–सादिक सैफी निवासी सैफीनगर थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1–चोरी की 05 चार पहिया वाहन।

जनपद जौनपुर/थाना मछलीशहर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की सोने/चॉदी के भारी मात्रा में आभूषण बरामद**

दिनांक 06.10.2021 को थाना मछली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मतरी चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1–अरूण 2–दीनानाथ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने/चॉदी के भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 04/05.10.2021 को थाना मछलीशहर क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मछलीशहर पर अन्तर्गत धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों से बरामद सोने/चॉदी के भारी मात्रा में आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मछलीशहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरूण निवासी फुटहा मतरी थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

2–दीनानाथ निवासी फुटहा मतरी थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1– चोरी की सोने/चॉदी के भारी मात्रा में आभूषण।

➢ **जनपद मजफ्फरनगर/थाना छपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे–14 मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त संजय को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➢ **<u>जनपद बस्ती/थाना गौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट बस्ती द्वारा थाना गौर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376/342 भादवि व 3(1)(12) व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ बब्लू लोहार को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➢ **<u>जनपद मजफ्फरनगर/थाना रतनपुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा, 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट संख्याः 05 मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रतनपुरी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त 1–गुलफाम 2–आबिद को 10–10 के कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

––––––